रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2008/कार्तिक 14, 1930

No. 582] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2008/KARTIKA 14, 1930

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 772(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय कंपनी सेवा विधि नियम, 1999 को अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिसूचना से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**— (1) इन नियमों का नाम भारतीय कारपोरेट विधि सेवा नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :--

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) "नियंत्रक अधिकारी" से केंद्रीय सरकार का कारपोरेट कार्य मंत्रालय अभिप्रेत है ;

(ग) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से इन नियमों की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति अभिप्रेत है ;

(घ) "डयूटी पद" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई पद अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी ;

(ङ) "परीक्षा" से केंद्रीय सेवा समूह 'क' भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा अभिप्रेत है ;

(च) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(छ) "श्रेणी" से अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ होगा जो क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में उनके लिए समनुदेशित है ;

(ञ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय कारपोरेट विधि सेवा अभिप्रेत है ;

(ट) किसी श्रेणी के संबंध में "अनुमोदित सेवा" से उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसी कोई अवधि या अवधियां भी है जिनके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में किसी ड्यूटी पद को तब धारण किया होता यदि वह छुट्टी पर, प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होता ।

3. भारतीय कोरपोरेट विधि सेवा का गठन :-- (1) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के नाम से ज्ञात एक सेवा गठित की जाएगी ।

(2) सेवा में पांच श्रेणियां अर्थात् उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी, ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, ज्येष्ठ काल वेतनमान और कनिष्ठ काल वेतनमान समाविष्ट होंगी ।

(3) सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह 'क' के रूप में वर्गीकृत होंगे ।

4. श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और इसका पुनर्विलोकन-- (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनकी संख्या और उनके वेतनमान अनुसूची । में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात्, विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए ।

(3) सरकार विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की स्वीकृत संख्या में समय समय पर ऐसा परिवर्तन कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(4) नियंत्रण प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से सेवा में ऐसे पद (अनुसूची । में सम्मिलित पदों से भिन्न) सेवा में सम्मिलित कर सकेगा जो प्रास्थिति, श्रेणियों वेतनमानों और वृत्तिक संदर्भ में सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य समझे जाएं या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगा ।

(5) नियंत्रण प्राधिकारी आयोग के परामर्श से किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा जिसका पद अस्थायी हैसियत में या किसी अधिष्ठायी हैसियत में सम्मिलित है, जो वह ठीक समझे और सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार उस श्रेणी में उसके ज्येष्ठता निश्चित कर सकेगा ।

5. सेवा के सदस्य-- (1) सेवा के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त हुए समझे गए व्यक्ति ; और

(ख) नियम 7 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति ।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उसे लागू समुचित श्रेणी मे सेवा का सदस्य होगा ।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा ।

6. आरंभिक सेवा का आरंभिक गठन-- भारतीय कंपनी विधि सेवा के ऐसे विद्यमान अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सेवा की विभिन्न श्रेणियों में डयूटी पद धारण किए हुए हैं या इन नियमों की प्रारंभ की तारीख को ऐसे डयूटी पदों पर धारणाधिकार धारण किए हुए हैं, यथास्थिति, अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में सेवा के समुचित ड्यूटी पदों और श्रेणियों में नियुक्त किए हुए समझे जाएंगे ।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण--(1) नियम 6 के अधीन सेवा के आरंभिक गठन के पश्चात् किसी भी श्रेणी में उत्पन्न होने वाली कोई रिक्ती इस नियम में इसके पश्चात उपबंधित रीति से भरी जाएगी ।

(2) काल वेतनमान की श्रेणी में 60 प्रतिशत रिक्तियां परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और उस श्रेणी में उत्पन्न होने वाली शेष 40 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूची 2 में यथावर्णित पदों के नियमित पदधारियो की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी ।

(3) ज्येष्ठ काल वेतनमान और उसके ऊपर की श्रेणी की सेवा में नियुक्ति, अनुसूची 2 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा सहित अगली निम्नतर श्रेणी में के अधिकारियों में प्रोन्नति द्वारा की जाएगी ।

(4) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिकचयन श्रेणी) के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों का चयन अनुसूची 3 के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता पर आधारित चयन द्वारा किया जाएगा ।

8. सेवा के आरंभिक गठन पर ज्येष्ठता-- सेवा के आरंभिक गठन के समय नियम 6 के अनुसार सेवा की किसी भी श्रेणी में नियुक्त किए गए सेवा के सदस्य की सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से ठीक अव्यवहित पहले अभिप्राप्त उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा शासित होगी ।

परंतु यह कि पृथक ज्येष्ठता सूची संबद्ध श्रेणी में नियुक्ति के उनके तारीखों के प्रतिनिर्देश से तत्कालीन लेखा शाखा और विधि शाखा के सदस्यों के प्रक्षेप द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिए तैयार की जाएगी ।

परंतु यह और कि इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से अव्यवहित पूर्व लेखा शाखा और विधि शाखा के अभिप्राप्त सेवा के सदस्य के पारस्परिक ज्येष्ठता संबद्ध श्रेणी में नियुक्ति की उनकी तारीख के दृष्टि लाए बिना उनके कनिष्ठ की तुलना में संरक्षित की जाएगी ।

परंतु यह भी कि यदि किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख के अभ्यवहित पूर्व विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई है तो यह समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

9. कनिष्ठ काल वेतनमान में सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता-- कनिष्ठ काल वेतनमान की श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता का अवधारण नीचे लिखित रीति से की जाएगी :

(i) परस्पर अनुसूची 2 में यथावर्णित पोषक श्रेणी से प्रोन्नत ऐसे अधिकारियों में से ज्येष्ठता का अवधारण ऐसी प्रोन्नति के लिए उनके चयन के क्रम में किया जाएगा और पूर्व चयन के आधार पर प्रोन्नत अधिकारियों का रैंक पश्चातवर्ती चयन के आधार पर उन प्रोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठतम होगी ;

(ii) परस्पर सीधी भर्ती के व्यक्तियों में से ज्येष्ठता का अवधारण उस मेरिट के क्रम में किया जाएगा जिसमें उनका चयन आयोग द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए किया गया है और पूर्व चयन के आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति का रैंक किसी पश्चातवर्ती चयन के आधार पर नियुक्त सभी अन्य व्यक्तियों से ज्येष्ठ होगा ; और

(iii) प्रोन्नत तथा सीधी भर्ती व्यक्तियों में से सापेक्ष ज्येष्ठता का इस प्रकार अवधारण और विनियमन ज्येष्ठता के साधारण सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।

10. सेवा के अन्य सदस्यों की ज्येष्ठता-- (i) प्रत्येक श्रेणी में सेवा के सदस्यों की एक पृथक ज्येष्ठता सूची बनाई जाएगी ;

(ii) सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता का अवधारण समय-समय पर इस बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

11. परिवीक्षा-- (1) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्ति पर ऐसा अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा ।

परंतु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी इस बाबत समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा ।

परंतु यह और कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाए जाने का कोई विनिश्चय साधारणतया पूर्ववर्ती परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् से आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करके संबद्ध अधिकारी को संसूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा की अवधि या इसके किसी विस्तार की अवधि के पूरा होने पर अधिकारी यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति में प्रतिधारित किया जाएगा और उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्ति पर सम्यक् अनुक्रम में पुष्टि किया जाएगा ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान, यथास्थिति, सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार -

(क) यदि उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा हुई थी, सेवा से उसे उन्मुक्त कर सकेगा ।

(ख) यदि उसकी नियुक्ति प्रोन्नति द्वारा हुई थी तो उसे ऐसी नियुक्ति के अव्यवहित पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा ।

(4) परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान अधिकारी से सरकार द्वारा प्रशिक्षण और अनुदेशों के ऐसे पाठ्यक्रम करने और ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा हो सकती है जैसा सरकार परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में आवश्यक समझे ।

(5) परिवीक्षा विषयक अन्य मामलों के संबंध में सेवा के सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे ।

12. सेवा में नियुक्ति-- सेवा की सभी नियुक्तियां सेवा के विभिन्न श्रेणियों में सभी ड्युटी पदों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

13. भारत के किसी भाग में सेवा का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें--

(1) सेवा में नियुक्त सदस्य भारत में कहीं भी या बाहर सेवा करने के दायी होंगे ।

(2) ऐसे मामलों की बाबत जिनका इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है सेवा के सदस्यों की सेवाशर्तें वहीं होंगी जो केन्द्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों को समय-समय पर लागू होती हैं ।

14. प्रतिनियुक्ति-- नियंत्रक प्राधिकारी सेवा के किसी सदस्य से, सरकार के किसी अन्य विभाग में या सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई पद धारण करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

15. निरर्हता - कोई व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा· :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

16. शिथिल करने की शक्ति-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करेगी तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या किन्हीं पदों की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

17. व्यावृत्ति---इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों (अ.पि.ज.) और भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

अनुसूची - 1

[नियम 2घ और 4 देखिए]

भारतीय कारपोरेट विधि सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों के पदनाम संख्या और वेतनमान

क्रम सं0	श्रेणी और वेतनमान	पद नाम	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (उ.प्र.श्रे.) (22400 – 24500रु0) (पूर्व पुनरीक्षित)	महानिदेशक (कारपोरेट कार्य)	1
2	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (ज्ये.प्र.श्रे.) (18400-500-22400 रु.) (पूर्व पुनरीक्षित)	1. प्रादेशिक निदेशक 2. निरीक्षण और अन्वेषण, निदेशक 3. निदेशक (विधि और अभियोजन) 4. निदेशक (लोक शिकायत)	10
3.	** कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) (पूर्व पुनरीक्षित) (14300-400-18300 रु0)		**
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (क.प्र.श्रे.) (12000-375-16500 रु0) (पूर्व पुनरीक्षित)	1. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड 2. कंपनी रजिस्ट्रार 3. शासकीय समापक 4 संयुक्त निदेशक	63
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (ज्ये.का.वे.) (10000-325-15200 रु0) (पूर्व पुनरीक्षित)	1. कंपनी रजिस्ट्रार 2. शासकीय समापक 3. कंपनी उप रजिस्ट्रार 4. उप शासकीय समापक 5. उप निदेशक	80
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (क.का.वे.) (8000-275-13500 रु0) (पूर्व पुनरीक्षित)	1. कंपनी रजिस्ट्रार 2. शासकीय समापक 3. कंपनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक 4. सहायक कंपनी रजिस्ट्रार 5. सहायक शासकीय समापक 6. सहायक निदेशक	137

		7. न्यायपीठ अधिकारी	
		कुल योग	291

** टिप्पण : कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) अकृत्यिक है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या ज्येष्ठ ड्यूटी पदों (अर्थात् सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान स्तर और ऊपर के सभी ड्यूटी पद) के 30 प्रतिशत के बराबर होगी और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में मंजूर पदों की संख्या तक सीमित होगी ।

अनुसूची -2
(नियम 7 देखिए)

(i) नियुक्ति की पद्धति, चयन का क्षेत्र और भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अगली निम्नतर श्रेणी में अर्हक सेवा ।

(ii) चयन का क्षेत्र, न्यूनतम अर्हक सेवा और भारतीय कारपोरेट विधि सेवा में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी का अकृत्यिक चयन श्रेणी की मंजूरी के लिए पद्धति ।

क्रम संख्या	श्रेणी	नियुक्ति की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा या अकृत्यिक चयन श्रेणी की मंजूरी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (उ.प्र.श्रे.)	चयन द्वारा	18400-500-22400 रुपए (पूर्व पुनरीक्षित) के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (ज्ये.प्र.श्रे.)	चयन द्वारा	12000-375-16500 रुपए (पूर्व पुनरीक्षित) के वेतनमान में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	चयन द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने यथास्थिति, ऐसी परीक्षा के, जिसके आधार पर अधिकारी भर्ती हुआ था, अनुगामी वर्ष की 1 जनवरी से या उस वर्ष की 1 जनवरी को जिसमें वह कनिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नत हुआ था, संगणित करते हुए, भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के समूह 'क' में सेवा के 14वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है ; या
			(ii) ऐसे अधिकारी जो इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में सीधी भर्ती हुए

			हैं, के मामले में ऐसे अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है । या (iii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने उन मामलों में जो इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व ज्येष्ठ काल वेतनमान में सीधे भर्ती हुए हैं और 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी का पद धारण कर रहे हैं ।
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (क.प्र.श्रे.)	चयन द्वारा	ज्येष्ठ काल वेतनमान वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने 10000-325-15200 रुपए के वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (ज्ये.का.वे)	चयन द्वारा	कनिष्ठ काल वेतनमान के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 8000-275-13500 (पूर्व पुनरीक्षित) रुपए के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (क.का.वे.)	(i) चयन के आधार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) नियम 7 के उपनियम (2) के अधीन 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	(i) पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित 6500-200-10500 रुपए (पूर्व पुनरीक्षित) के वेतनमान में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक । (ii) पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित 6500-200-10500 रुपए (पूर्व पुनरीक्षित) के वेतनमान में कंपनी अभियोजक । (iii) आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित 5500-175-9000 रुपए (पूर्व पुनरीक्षित) के वेतनमान में अधीक्षक-सह-लेखाकार (iv) पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित 6500-200-10500 रुपए (पूर्व पुनरीक्षित) के वेतनमान में अंवेषण अधिकारी ।

टिप्पण 1 : यदि सेवा के किसी पद पर नियुक्त कोई अधिकारी उच्चतर पद में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है तो भी किसी बात के होते हुए भी उन्होंने सेवा के अपेक्षित वर्ष पूरे नहीं किए हों, उससे ज्येष्ठ श्रेणी के सभी व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा ।

टिप्पण 2 : * प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची अपनी अपनी श्रेणी या पद में विहित सेवा अर्हक के अधिकारियों द्वारा पूरी किए जाने के तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी ।

अनुसूची 3

[नियम 7 देखिए]

(i) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा में प्रोन्नति और पुष्टि पर मामलों में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ।

(ii) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा अकृत्यकारी चयन श्रेणी में मंजूरी के लिए विचार किए जाने वाले मामलों के लिए चयन समिति की संरचना ।

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रोन्नति/अकृत्यिक चयन श्रेणी के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, चयन समिति ।	पुष्ठि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ।
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (उ.प्र.श्रे.)	अध्यक्ष- अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग सदस्य- सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय सदस्य - सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय	
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (ज्ये.प्र.श्रे.)	अध्यक्ष- अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग सदस्य- सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय सदस्य - अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	अध्यक्ष- सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय सदस्य- अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय सदस्य - संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (क.प्र.श्रे.)	अध्यक्ष-अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग सदस्य- अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय सदस्य - संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (ज्ये.का.वे.)	अध्यक्ष-अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय सदस्य- निदेशक या उप सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय	

		सदस्य - निदेशक या उप सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (क.का.वे.)	अध्यक्ष-अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग सदस्य-निदेशक या उपसचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय सदस्य-निदेशक या उपसचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	अध्यक्ष-अपर सचिव या संयुक्त सचिव कारपोरेट काय मंत्रालय सदस्य- निदेशक या उप सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय सदस्य - निदेशक या उप सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय

टिप्पण : जहां विभागीय प्रोन्नति समिति दो सदस्यों से अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है वहां आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति पर समिति की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी, यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य बैठक में उपस्थित हुए हों ।

[फा. स. ए-42011/87/2007-प्रशा. II]

पी. डी. सुधाकर, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2008

G.S.R. 772(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Company Law Service Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1)These rules may be called the Indian Corporate Law Service Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Controlling Authority" means the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs;

(c) "Departmental Promotion Committee" means a Departmental Promotion Committee specified in Schedule III to these rules;

(d) "duty post" means any post, specified in Schedule I whether permanent or temporary;

(e) "examination" means the Civil Services Examination held by the Commission for recruitment to Central Services Group 'A';

(f) "Government" means the Government of India;

(g) "grade" means a grade specified in column (2) of Schedule I;

(h) "Schedule" means a schedule appended to these Rules;

(i) "Scheduled Castes" and " Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;

(j) "Service" means the Indian Corporate Law Service constituted under rule 3; and

(k) "approved service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection according to procedure for regular appointment to the grade and includes any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave, deputation or otherwise not being available for holding such a post.

3. **Constitution of Indian Corporate Law Service.**— (1) There shall be constituted a service known as the Indian Corporate Law Service.

(2) The service shall comprise of five grades namely, Higher Administrative Grade, Senior Administrative Grade, Junior Administrative Grade, Senior Time Scale and Junior Time Scale.

(3) All the posts included in the service shall be classified as Group 'A' posts.

4. **Grades, authorised strength and its review.**— (1) The duty posts included in the various grades of the service, their number and the scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised strength of the duty posts in the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.

(3) The Government may, from time to time make such alteration in the sanctioned strength of the duty posts in various grades as it thinks necessary.

(4) The Controlling Authority may, in consultation with the Commission, include in the service such posts (other than those included in Schedule I) as may be deemed equivalent to the posts included in the service in status, grades, scales of pay and professional context, or exclude from the service any posts included in the said Schedule.

(5) The Controlling Authority may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the service under sub-rule (4) to the appropriate grade of the service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as it thinks fit and fix his seniority in that grade in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time to time.

5. **Members of the service.**— (1) The following persons shall be the members of the service, namely :-

(a) persons deemed to have been appointed to the duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to the duty posts under rule 7.

(2) A person referred to in clause (a) of the sub-rule 1 shall be a member of the service in the appropriate grade applicable to him.

(3) A person referred to in clause (b) of the sub-rule 1 shall be a member of the service in the appropriate grade applicable to him from the date of such appointment.

6. **Initial Constitution of service.**— The existing officers of Indian Company Law Service holding duty posts in various grades of the service on regular basis or holding lien on such duty posts on the date of commencement of these rules, shall be deemed

to have been appointed to the appropriate duty posts and grades in the service in the substantive or officiating capacity, as the case may be.

7. **Future maintenance of the service.**— (1) Any vacancy arising in any of the grades after the initial constitution of the service under rule 6 shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule.

(2) 60 per cent. of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of result of the examination and the remaining 40 per cent. vacancies arising in the grade shall be filled by promotion of regular incumbents of the posts as mentioned in Schedule II.

(3) Appointment in the service in the grade of Senior Time Scale and above shall be made by promotion from officers in the next lower grade with the minimum qualifying service as specified in column (4) of Schedule II.

(4) The selection of officers for appointment to posts in Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) shall be made by selection based on seniority subject to suitability on the recommendations of a Selection Committee constituted in accordance with Schedule III.

8. **Seniority at initial constitution of the service.**— The relative seniority of the member of the service, appointed to any grade of the service in accordance with rule 6 at the time of initial constitution of the service shall be governed by their relative seniority obtaining immediately before the date of commencement of these rules:

Provided that a separate seniority list shall be prepared for each grade by interpolating the members of erstwhile accounts branch and legal branch with reference to their dates of appointment in the respective grade:

Provided further that the relative seniority of the member of the service as obtained in the accounts branch and legal branch immediately before the date of commencement of these rules will be protected vis-à-vis his junior irrespective of his date of appointment in the respective grade:

Provided also that if the seniority of any such member has not been specifically determined immediately before the said date, the same shall be determined in accordance with the general orders or instructions issued by the Central Government from time to time.

9. **Seniority of members of the service in Junior Time Scale.**— The seniority of persons appointed to the grade of Junior Time Scale shall be determined in the manner below:

(i) the seniority among such officers promoted from the feeder grade as mentioned in Schedule II inter se shall be determined in the order of their selection for such promotion and officers promoted on the basis of an earlier selection shall rank senior to those promoted on the basis of subsequent selection;

(ii) the seniority among the direct recruits inter se shall be determined by the order of merit in which they are selected for such appointment by the Commission and any person appointed on the basis of an earlier selection shall rank senior to all other persons appointed on the basis of any subsequent selection; and

(iii) the relative seniority among the promotees and the direct recruits shall be so determined and regulated in accordance with the general principles of seniority.

10. **Seniority of other members of the service.**— (i) A separate seniority list of the members of the service in each grade shall be maintained.

(ii) Seniority of members of the service shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

11. Probation.— (1) Every officer on appointment to the service either by direct recruitment or by promotion in the grade of Junior Time Scale of the service shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of period of probation or any extension thereof, the officers shall, if considered fit for permanent appointment be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy.

(3) If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may—

(a) if he was appointed by direct recruitment, discharge him from the service;

(b) if he was appointed by promotion, revert him to the post held by him immediately before such appointment.

(4) During the period of probation or any extension thereof, the officer may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations and tests as the Government may consider necessary as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the service will be governed by the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.

12. Appointment to the service.— All appointments to the service shall be made by the Controlling Authority for all the duty posts in various grades of the service.

13. Liability for service in any part of India and other conditions of service.—

(1) The members appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) The conditions of service of the members of the service in respect of matters for which no provision has been made in these rules shall be the same as are applicable from time to time, to the Group 'A' officers of the Central Civil Service.

14. Deputation.— The Controlling Authority may require any member of the service to hold for a specified period a post in any other Department of the Government or in any Corporation owned or controlled by the Government.

15. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

OR

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

16. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and, in consultation with the Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

17. Saving.— Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special

Schedule – I

[See rules 2(d) and (4)]

Designation, Number and Scale of pay of duty posts included in the various grades of the Indian Corporate Law Service

S.No	Grade and Scale	Designation	No. of Posts
1	Higher Administrative Grade (HAG) [Rs. 22400-24500 (pre-revised)]	Director General of Corporate Affairs	1
2	Senior Administrative Grade (SAG) [Rs. 18400-500-22400 (pre-revised)]	1. Regional Director 2. Director of Inspection and Investigation 3. Director (Legal and Prosecution) 4. Director (Public Grievances)	10
3	**Junior Administrative Grade (Non Functional Selection Grade) [Rs. 14300-400-18300 (pre-revised)]		**
4	Junior Administrative Grade (JAG) [Rs. 12000-375-16500 (pre-revised)]	1. Secretary, Company Law Board 2. Registrar of Companies 3. Official Liquidator 4. Joint Director	63
5	Senior Time Scale (STS) [Rs. 10000-325-15200 (pre-revised)]	1. Registrar of Companies 2. Official Liquidator 3. Deputy Registrar of Companies 4. Deputy Official Liquidator 5. Deputy Director	80
6	Junior Time Scale (JTS) [Rs. 8000-275-13500 (pre-revised)]	1. Registrar of Companies 2. Official Liquidator 3. Registrar of Companies-cum-Official Liquidator 4. Assistant Registrar of Companies 5. Assistant Official Liquidator 6. Assistant Director 7. Bench Officer	137
		Grand Total	291

**Note: The Junior Administrative Grade (Selection Grade) is Non-functional and the maximum number of posts in this grade shall be equal to 30 per cent. of the Senior Duty Posts (i.e. all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the service) and the maximum number of posts in this grade shall be limited to the number of posts sanctioned in the Junior Administrative Grade.

4231 GI/08-3

Schedule - II

[See rule 7]

i) Method of recruitment, field of selection and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Corporate Law Service.

ii) Field of selection, minimum qualifying service and method for grant of Non Functional Selection Grade to Junior Administrative Grade officers of the Indian Corporate Law Service.

S.No	Grade	Method of recruitment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion or grant of Non Functional Selection Grade
1	Higher Administrative Grade (HAG)	By selection	Senior Administrative Grade officers with three years regular service in the pay scale of Rs.18400-500-22400/- (pre-revised)
2	Senior Administrative Grade (SAG)	By selection	Junior Administrative Grade officers with eight years regular service in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- (pre-revised)
3	Junior Administrative Grade (Non Functional Selection Grade)	By selection	i) Officers in Junior Administrative Grade who enter 14th year in service in Group 'A' posts in Indian Corporate Law Service on the 1st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the officer was recruited or the year in which he was promoted to Junior Time Scale as the case may be. or ii) Officers who have completed five years of regular service in case of those who are directly recruited in the Junior Administrative Grade prior to coming into force of these rules. or iii) Officers who have completed ten years of regular service in case of those who are directly recruited in the Senior Time Scale prior to coming into force

			of these rules and holding the post in the Junior Administrative Grade.
4	Junior Administrative Grade (JAG)	By selection.	Senior Time Scale officers with five years regular service in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- (pre-revised)
5	Senior Time Scale (STS)	By selection.	Junior Time Scale officers with five years regular service in the pay scale of pay scale of Rs. 8000-275-13500/-(pre-revised)
6	Junior Time Scale (JTS)	i) *40 per cent. by promotion on the basis of selection. ii) 60 per cent. by direct recruitment under sub-rule (2) of rule 7	i) Senior Technical Assistant in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- (pre-revised) with five years regular service ii) Company Prosecutor in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- (pre-revised) with five years regular service. iii) Superintendent-cum-Accountant in the pay scale of Rs 5500-175-9000/- (pre-revised) with eight years regular service. iv) Investigating Officer in the pay scale of Rs.6500-200-10500/- (pre-revised) with five years regular service.

Note: 1. If an officer appointed in any post in the service is considered for the purpose of promotion to a higher post all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service.

Note: 2. *The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

Schedule - III

[See rule 7]

(i) Composition of Departmental Promotion Committee for considering cases for promotion and confirmation in the Indian Corporate Law Service

(ii) Composition of Selection Committee for considering cases for grant of Non Functional Selection Grade in the Indian Corporate Law Service

S.No.	Grade	Departmental Promotion Committee/ Selection Committee for considering cases of promotion/Non Functional Selection Grade	Departmental Promotion Committee for considering confirmation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Higher Administrative Grade (HAG)	**Chairman** - Chairman or Member, Union Public Service Commission **Member** -Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** - Secretary, Ministry of Law and Justice	
2	Senior Administrative Grade (SAG)	**Chairman** - Chairman or Member, Union Public Service Commission **Member** -Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** -Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs	
3	Junior Administrative Grade (Non Functional Selection Grade)	**Chairman** -Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** -Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** -Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs	
4	Junior Administrative Grade (JAG)	**Chairman** - Chairman or Member, Union Public Service Commission **Member** -Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** -Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs	
5	Senior Time Scale (STS)	**Chairman** -Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** -Director or Deputy	

		Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** -Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs	
6	Junior Time Scale (JTS)	**Chairman** - Chairman or Member, Union Public Service Commission **Member** -Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** -Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs	**Chairman** - Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** - Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** - Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Note: Where the Departmental Promotion Committee consists of more than two members, the absence of a member other than the Chairman or a Member of Commission shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half of the members of the Committee had attended its meeting.

[F. No. A-42011/87/2007-Ad. II]
P. D. SUDHAKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, [illegible] Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054